



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०-1352

दिनांक-03.08.2026

जोन-मध्य / थाना- हजरतगंज

- थाना हजरतगंज पुलिस द्वारा कूटरचित चेक के माध्यम 2,50,000/- रुपये निकालने वाले 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 27.01.2025 को वादिनी मुकदमा निदा खान निवासिनी खदरा लखनऊ द्वारा तहरीर प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित किया गया कि दिनांक 14/11/2024 को वादिनी के खाते का फर्जी चेक बनाकर खाते से रु 2,50,000/- निकल लिया है जबकि यह चेक वादिनी मुकदमा की चेक बुक में मौजूद है। वादिनी मुकदमा को जैसे ही ज्ञात हुआ वैसे ही वादिनी मुकदमा तुरन्त बैंक गयी और यह सब घटना के बारे में बैंक को बताने पर बैंक द्वारा बताया यह पैसे किसी (चाँद बाबू) सुप्रीमो ट्रेडर्स खाते में चेक लगाया गया है। और इसी खाते में पैसे स्थानान्तरित हुए हैं। जिस पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 31/2025 धारा 318(4)/338/366(3)/340(2) बीएनएस बनाम खाताधारक चांदबाबू सुप्रीमो ट्रेडर्स पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचकों के स्थानान्तरण के उपरान्त अभियोग उपरोक्त की विवेचना व०उ०नि० अमित कुमार सिंह को सुपुर्द की गयी।

विवेचना में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान विधि विज्ञान प्रयोगशाला से कूटरचित दस्तावेज का परीक्षण कराने पर कूटरचित चेक पर वादिनी मुकदमा के हस्ताक्षर नहीं पाये गये तथा चेक पर अंकित खाता संख्या व अन्य स्थानों पर इरेजर के निशान पाये गये। सुरागरसी पतारसी से नामित /वांछित अभियुक्त चांदबाबू पुत्र रईस अहमद निवासी ग्राम मनौरी बड़ी मस्जिद के पास थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज उ०प्र० की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था।

अभियुक्त की तलाश में पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा था अभियुक्त द्वारा पुलिस से अपना छिपाव बनाये रखा गया। मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त चांदबाबू उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु मा० न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया जिसके अनुपालन में व०उ०नि० अमित कुमार सिंह द्वारा अभियुक्त चांदबाबू पुत्र रईस अहमद निवासी ग्राम मनौरी बड़ी मस्जिद के पास थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज उ०प्र० को जनपद प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त चांदबाबू को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिस पर मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02- पूछताछ विवरण एवं माइयूस आपरेंडी-

अभियुक्त चांदबाबू ने पूछताछ में बताया मैं सैलून की दुकान चलाता हूँ मेरी दुकान में अविनाश नाम का एक व्यक्ति आता था जिसके कहने पर चिप्स के व्यापार के लिए उसके कहने पर मैंने बैंक में खाता खुलवाया था जिसमें पैसे आये थे।

03- गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. चांदबाबू पुत्र रईस अहमद निवासी ग्राम मनौरी बड़ी मस्जिद के पास थान पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज

04-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 31/2025 अन्तर्गत धारा 318(4)/338/366(3)/340(2) बीएनएस थाना हजरतगंज लखनऊ।

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व०उ०नि० अमित कुमार सिंह कमि० लखनऊ
2. का० भूपेन्द्र सिंह थाना हजरतगंज लखनऊ
3. का० रोशन थाना हजरतगंज लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं.-1348

दिनांक- 03.08.2026

जोन- दक्षिणी / थाना- बिजनौर

- थाना बिजनौर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
- कब्जे से पीली व सफेद धातु के आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 05 लाख रुपये), 5230/- रुपये नगद व 01 अदद मोबाइल फोन बरामद।

01- कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरूण गाबा व संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी श्री मो0 मुश्ताक के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक बिजनौर श्री कपिल गौतम द्वारा गठित टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.07.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती गर्विता सिंह पत्नी श्री अविरल सिंह निवासी ओमेक्स सिटी थाना बिजनौर जनपद लखनऊ की तहरीरी सूचना, दो अज्ञात चोर द्वारा वादिनी मुकदमा के घर का ताला तोड़कर कीमती सामान की चोरी कर लेने के संबंध प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-188/2026, धारा-331(4)/305(a) बीएनएस, पंजीकृत किया गया था।

जिसमे दिनांक-22.07.2026 को एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा साथी चोर की तलाश पतारसी जारी थी।

घटना के सफल अनावरण एवं वांछित चोर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी महोदय के निर्देशन में 02 पुलिस टीमों गठित की गयीं थी। जिनके द्वारा लगभग 70-80 सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया गया। दिनांक 02.08.2026 को अभियुक्त शंकर कुमार शाक्य पुत्र मेवालाल शाक्य को गिरफ्तारी कर कब्जे से चुराए गए माल को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

03-पूछताछ विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं व मेरे साथी सुनील ने मिलकर दिनांक 18/19.07.2026 को ओमेक्स सिटी में रात्रि में बन्द पड़े घर का ताला तोड़कर घर के अन्दर घुसकर हम दोनों लोगों ने मिलकर सिकके व घड़ी तथा जेवरात व लॉकर की चाबी एवं नगदी चोरी किये थे। जो माल आपने मुझसे बरामद किया है, उक्त ज्वेलरी को आज मैं बेचने की फिराक में घूम रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया है। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझ से गलती हो गयी है।

04- माड्यूस आपरेंडी:-

अभियुक्त द्वारा अपने साथी सुनील उर्फ रंजीत पुत्र अजीत के साथ मिल कर रात को बन्द पड़े मकानों की रेकी करना तथा फिर रात्रि में ताला तोड़कर नगदी जेवरात व अन्य कीमती सामान चोरी करना जिसे ठीक ठाक दाम पर बेच कर पैसा आपस में बांट लेना ।

05- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- शंकर कुमार शाक्य पुत्र मेवालाल शाक्य निवासी रजनीखण्ड शारदा नगर थाना आशियाना जनपद लखनऊ मूल निवासी ग्राम इमराहिमपुर थाना इमराहिमपुर जिला बाराबंकी उम्र लगभग 58 वर्ष ।
- (शिक्षा-अनपढ़/व्यवसाय-मजदूरी)

06-आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 147/2019 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गोमतीनगर लखनऊ ।
- 2- मु0अ0सं0 19/2026 धारा 354ख/506 भादवि व 7/8 पाक्सो अधि0 थाना आशियाना लखनऊ ।

07-अनावरित अभियोग का विवरण:-

- 1- मु0अ0सं0-188/2026,धारा-305(a)/331(4) बीएनएस व बढोत्तरी धारा-317(2) बीएनएस थाना बिजनौर लखनऊ ।

08-बरामदगी विवरण:-

- 01 अदद चैन पीली धातु
- 02 अदद कान के टाप्स पीली धातु
- 01 अदद नोज पिन पीली धातु
- 02 अदद हाथ कड़ा पीली धातु
- 01 जोड़ी पायल सफेद धातु
- 5230 /-रूपये नगदी

09-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 रविन्द्र कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ
- 2- उ0नि0 विजय कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ
- 3- उ0नि0 सुधीर कुमार, थाना बिजनौर लखनऊ
- 4- हे0 अरूण सिंह थाना बिजनौर लखनऊ
- 5- का0 राहुल सैनी थाना बिजनौर लखनऊ
- 6- रि0का0 वीर बहादुर थाना बिजनौर लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1350

दिनांक-03.08.2026

जोन-उत्तरी/थाना- बी0के0टी

- जुआ खेलने वालों के विरुद्ध थाना बक्शी का तालाब पुलिस की सख्त कार्यवाही, 11 अभियुक्त गिरफ्तार।
- ₹7,200/- मालफड़, ₹1,930/- नकद एवं 52 अदद ताश के पत्ते बरामद।

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 02.08.2026 को थाना बक्शी का तालाब पुलिस द्वारा अपराध एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम द्वारा ग्राम बीकामऊ कला स्थित मलखान सिंह के आम के बाग में छापेमारी की गई। मौके पर हार-जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, ₹7,200/- मालफड़ तथा जामा तलाशी से कुल ₹1,930/- नकद बरामद हुए। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना बक्शी का तालाब पर मु0अ0सं0 300/2026, धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 300/2026, धारा 13 जुआ अधिनियम थाना बीकेटी, लखनऊ

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. कन्हैया लाल पुत्र स्व० गजोधर, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
2. सोनू पुत्र रामप्रसाद, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
3. पुतान पुत्र रामचरन, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
4. रोहित पुत्र चन्द्रप्रकाश, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
5. रघुवीर रावत पुत्र जगदेव, उम्र करीब 55 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)

6. मलखान सिंह पुत्र स्व० हरीप्रसाद सिंह, उम्र करीब 46 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
7. सूरज रावत पुत्र शिवानन्द, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
8. अज्जु पुत्र अब्दुल रहमान, उम्र करीब 25 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
9. फूलचन्द्र पुत्र छोटेलाल रावत, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
10. मोहित पुत्र सोहनलाल रावत, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)
11. उदयवीर सिंह पुत्र लाखन सिंह, उम्र करीब 29 वर्ष, निवासी ग्राम बीकामऊ कला, थाना बीकेटी, लखनऊ। (व्यवसाय खेती/मजदूरी)

05-बरामदगी -

- 52 अदद ताश के पत्ते
- ₹7,200/- मालफड़
- ₹1,930/- जामा तलाशी से बरामद नकदी

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री शैलेन्द्र कुमार मिश्रा
2. उ०नि० श्री राकेश कुमार यादव
3. हे०का० राजकोकिल
4. का० अंकित कुमार
5. का० दिलीप कुमार
6. का० अंकुर राणा
7. का० अम्बरीश सिंह
8. का० पारस कुमार
9. का० नितिन कुमार



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1353
दिनांक- 03.08.2026

जोन-पूर्वी/ थाना-गाजीपुर

- थाना गाजीपुर पुलिस एवं साइबर हेल्पडेस्क की संयुक्त कार्रवाई में महिला से मोबाइल लूटने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।
- अभियुक्त के कब्जे से घटना में लूटा गया **Motorola G57 Power** मोबाइल फोन बरामद।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.07.2026 को वादिनी श्रीमती ललिता वर्मा, पत्नी श्री विनय कुमार वर्मा, निवासी डी-1298, इन्दिरानगर, लखनऊ द्वारा ई -एफआईआर संख्या 251/2026, धारा 305(a) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत इस आशय की दर्ज कराई गई कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर हमला कर उनका लगभग 09 दिन पूर्व खरीदा गया **Motorola G57 Power** मोबाइल फोन छीन लिया गया।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर हेल्पडेस्क की सहायता से मोबाइल फोन को **CEIR पोर्टल** पर ट्रैकिंग हेतु पंजीकृत कराया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की तलाश प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अभियोग में वर्णित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मुकदमे को धारा 305(a) BNS से धारा 309(6) BNS में तरमीम किया गया।

दिनांक 03.08.2026 को मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर थाना गाजीपुर पुलिस टीम ने कलेवा चौराहे के पास से अभियुक्त विनय वर्मा पुत्र जगपत वर्मा, निवासी ग्राम सिंहपुर, थाना तिंदवारी, जनपद बांदा, वर्तमान पता- किराये का मकान, डी-1215, डी-ब्लॉक, इन्दिरानगर, थाना गाजीपुर, लखनऊ, उम्र लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से घटना में लूटा गया **Motorola G57 Power** मोबाइल फोन बरामद किया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि वह नशे का आदी है तथा अपनी नशे की लत एवं व्यक्तिगत शौक पूरे करने के लिए धन की आवश्यकता होने पर उसने लगभग 10-12 दिन पूर्व डी-ब्लॉक, इन्दिरानगर क्षेत्र में एक महिला से [blob:https://web.whatsapp.com/f5ba1f26-73a6-4c0f-98c8-2ad517031ba9](https://web.whatsapp.com/f5ba1f26-73a6-4c0f-98c8-2ad517031ba9) मोबाइल छीना था। महिला द्वारा विरोध करने पर उसने पास पड़े नुकीले पत्थर से उनके सिर पर प्रहार कर मौके से फरार हो गया था। अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उसके आपराधिक इतिहास के संबंध में अन्य थानों एवं जनपदों से जानकारी प्राप्त की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्य:-

नशे की लत एवं व्यक्तिगत शौक पूरे करने हेतु धन की व्यवस्था करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-विनय वर्मा पुत्र जगपत वर्मा निवासी मूलपता ग्राम सिंहपुर थाना तिंदवारी जनपद बांदा हालपता किराये का मकान म.न.

डी 1215 डी ब्लॉक इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

04- अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0स0 251/26 धारा 309(6)/317(2) बी.एन.एस थाना गाजीपुर लखनऊ (अनावरित अभियोग)

05-बरामदगी:-

➤ 01 अदद मोबाइल Motorola G57 Power IMEI number 359735653389971,
359735653389989

06- अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 श्री मनोज कुमार चौकी प्रभारी पॉलीटेक्निक	1. उ0नि0 श्री अभिषेक वर्मा प्रभारी साइबर
2. उ0नि0 श्री प्रमोद चौधरी	हेल्पडेस्क थाना गाजीपुर
3. का0 कुश प्रसाद	2. सहा0उ0नि0 / कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड – ‘B’ श्री
4. का0 यतेन्द्र कुमार	आमिर अली खान
	3. का0 गौरव कुमार शर्मा